[22/7/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 2975]

परिशिष्ट - "अ"

ता.प्र. 2975

कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण विभाग) जिला इन्दौर

क्रमांक / राहत / 2019 / 2117 इन्दौर, दिनांक 8/5/2019

आदेश

अनुसूचित जाति राहत योजना नियम 1979 संशोधित राहत नियम 2015 सह नियम 4(3) 7 ख (I)(IV) एवं 2 (II) अनुसार निम्न पीडित व्यक्तियों को तत्कालिन आर्थिक सहायता देने हेतू उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई राहत राशि स्वीकृत की जाती है :-

क्र	नाम हितग्राही व पता	जाति	घटना का विवरण	बैंक खाता नम्बर	आईएफ एससी न.	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती काली पति दिलीप निनामा ग्रा. उमरकोट तह. रामा जिला झाबुआ	अनु.जन जाति आदिवासी	पुत्री की मृत्यू	502810400005 192	BKID0NA MRGB	10,000
	(अक्षरी रूपये दस हजार मात्र)					10,000

"उक्त राशि निम्न लेखाशीर्ष विकलनीय होगी :-

मांग संख्या-49-मुख्यशीर्ष-2225 अनुसूचित जातियां,अनुसूचित जनजातियों तथाअन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण, (01) अनुसूचित जातियों का कल्याण 800 अन्य व्यय 0103 अनुसूचित जाति उपयोजना (4719) अनुसूचित जातियों के लिए सहायता योजना 42 सहायक अनुदान 006 अन्य।

(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास इन्दौर

पृ. क्रमांक / राहत / 2019 / 2118 इन्दौर, दिनांक 8/5/2019

प्रतिलिपि :-

1 आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, म.प्र. भोपाल।

2 सहायक आयुक्त,जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति विकास,झाबुआ की ओर भेजकर लेख है कि श्रीमती काली पति दिलीप निनामा, ग्रा. उमरकोट तह. रामा जिला झाबुआ को राहत राशि प्रदाय की गई हैं। सूचनार्थ।

3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय इन्दौर।

4 लेखा शाखा, आदिम जाति कल्याण विभाग, इन्दौर।

5 देयक प्रति।

6 संबंधित श्रीमती काली पति दिलीप निनामा, ग्रा. उमरकोट तह. राम जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास इन्दौर

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1)

G:\12 G.-.doc

2975

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर (म.प्र.)

रानीसराय परिसर, रीगल स्क्वेअर, इंदौर मध्य प्रदेश
E-Mail- sspreaderindore@gmail.com
0731-2510307

क्रमांक–व.पु.अ./इ/शाखा रीडर/क्रा./ 23/19

दिनांक 16.05.2019

प्रति,

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर (म.प्र.)

विषय :– मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़ित पक्ष को प्रतिकर राशि दिलवाये जाने संबंधी।

संदर्भ :– थाना प्रभारी, थाना हीरानगर इंदौर का प्रतिवेदन क्र. 1406/19 दिनांक 14.05.19

---0---

कृपया विषयांतर्गत लेख हैं कि दिनांक 06.05.19 की रात्रि 01 बजे फरियादी– दिलीप उर्फ दीपू पिता श्री कालू निनामा की पुत्री– मनीषा उम्र 04 वर्ष जो अपने परिवार के साथ बीमा अस्पताल के पास झोपड़ पट्टी इंदौर में सो रही थी, को अज्ञात व्यक्ति द्वारा उठा कर ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म उपरांत गला दबाकर हत्या कर दी गई तथा शव को घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर चम्पालाल वर्मा के खेत में बने कुऍं में फैंक दी गई थी।

उक्त घटना पर से थाना हीरानगर इंदौर पर अप.क्र. 362/19 धारा 363 भा.द.वि. वृद्धि धारा 376(डी),376(ए,बी)(जे),302,377,201 भा.द.वि. एवं 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी– नंदूसिंह पिता शम्भूसिंह गामड़ जाति भील उम्र 30 वर्ष पता ग्राम धतुरिया चौकी जगनावदा थाना रायपुरिया जिला झाबुआ वर्तमान पता– बीमा अस्पताल चंदन नगर के पीछे झोपड़ पट्टी थाना हीरानगर जिला इंदौर को दिनांक 07.05.19 समय 20:00 बजे गिरफ्तार किया गया हैं।

थाना प्रभारी, थाना हीरानगर इंदौर द्वारा अपने संदर्भित पत्र के माध्यम से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया हैं।

अतः पीड़ित पक्ष एवं प्रकरण से संबंधित दस्तावेज संलग्न कर, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़ित पक्ष को प्रतिकर राशि नियमानुसार दिलवायें जाने हेतु कृपया सादर अनुरोध हैं।

संलग्न :–
1. पीड़ित परिवार की समग्र आई.डी. छायाप्रति
2. पीड़ित परिवार के नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक की पास बुक की छायाप्रति
3. फरियादी की कस्टमर कार्ड की छायाप्रति
4. मृतीका–मनीषा का जाति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति
5. पीड़ित परिवार के 3 आधार कार्ड की छायाप्रति
6. गुमशुदगी पंजीयन क्र. 71/19 की छायाप्रति

(रूचि वर्धन मिश्र)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जिला इंदौर (म.प्र.)
O/C

D:\YEAR 2019\ ...Letter 2019...

क्रमशः....2...

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन;
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1)
मंत्रालय, भोपाल.

Scanned by CamScanner